कार्यालय मुख्य आयुक्त
उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39/1, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
दूरभाषः 0135–2608974, फैक्स–2608973

श्री डी॰एस॰ गर्ब्याल, आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के साथ हुई विभागीय बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की समीक्षा बैठक दि॰ 27.06.2019 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. श्री डी॰एस॰ गर्ब्याल, आयुक्त, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
2. श्री राजेश प्रताप सिंह, अधिशासी अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
3. श्री बी॰बी॰ ध्यानी, उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
4. श्री यशपाल सिंह गुसाईं, समीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
5. श्री जे॰पी॰ सती, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
6. श्री आर॰एस॰ भण्डारी, प्रधान सहायक, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत इस बैठक में लोक निर्माण विभाग के साथ उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियांवयन के संबंध में चर्चा हुई।

2. अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि आयोग के साथ पूर्व में आहूत बैठकों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की 06 सेवाओं को अधिसूचित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिसमें से 04 सेवाओं को ही अधिसूचित किया गया है। विभागीय वेबसाईट पर ''सेवा का अधिकार'' बटन बनाया गया है तथा उस पर सिटिजन चार्टर को अपलोड किया गया है तथा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की वेबसाईट का हाईपरलिंक बनाया गया है।

3. आयोग द्वारा विभागीय वेबसाईट का अवलोकन करने पर पाया कि विभागीय वेबसाईट पर Citizen Charter/RTS का बटन बनाया गया है, जिसके अंदर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की बेवसाईट का हाईपरलिंक तथा नागरिक अधिकार पत्र को अंग्रेजी भाषा में अपलोड किया गया है।

4. उपरोक्त के क्रम में अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि वे निम्न कार्यवाहियाँ यथासमय पूर्ण कर **दि॰ 13.08.2019 तक** अनुपालन आख्या आयोग को उपलब्ध करायें:–

1. विभागीय स्तर पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत पुनः अधिसूचित किये जाने वाली सेवाओं को चिन्हित कर संशोधित प्रस्ताव शासन को

भेजा जाय तथा शासन स्तर पर सेवाओं को अधिसूचित किये जाने के संबंध में विभागीय स्तर से पैरवी की जाय।

2. विभागीय वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर नागरिक अधिकार पत्र का बटन पृथक से बनाया जाय। इसके अतिरिक्त सिटिजन चार्टर के संबंध में सुझाव दिया गया कि इसमें विभाग की सभी सेवाओं का समावेश रहे तथा सेवा प्राप्त न होने की दशा में आवेदक जिस अधिकारी के समक्ष शिकायत/अपील दर्ज कर सकता है, उसका नाम, पदनाम, पता, मोबाईल नं., ई–मेल आदि का विवरण अंकित रहे। विभागीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की व्यवस्था से ही नागरिक हितों की रक्षा हो सकेगी। उपरोक्त सुधार करने के उपरांत संशोधित सिटीजन चार्टर को हिन्दी भाषा में विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही की जाय।

3. विभागीय वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर ''सेवा का अधिकार'' बटन के अलग से बनाया जाय तथा उसके अंदर अधिसूचित सेवाओं एवं उनसे संबंधित पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के कार्यालय का पता, दूरभाष नंबर एवं ई–मेल आदि अपलोड किया जाय।

4. विभागीय वेबसाईट के मुख्य पृष्ठ पर उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की बेवसाईट का हाईपरलिंक बनाया जाय।

5. निर्धारित तिथि तक उपरोक्त बिंदुओं पर अनुपालन आख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में कम से कम मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी **दि॰ 13.08.2019 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** आयोग में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें।

(डी॰एस॰ गर्ब्याल)
आयुक्त।

संख्या :– 642 /19–03(45)/2017, दिनाँक: 28 जून, 2019।

प्रतिलिपि: –

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
3. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण (नाम से)।

(बी॰बी॰ ध्यानी)
उप रजिस्ट्रार।

CITIZEN'S CHARTER

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
UTTARAKHAND

UTTARAKHAND

http://www.pwduk.gov.in/
Lok Nirman Bhawan
Yamuna Colony, Dehradun-248001

1. Introduction:

Public Works Department of Uttarakhand is a premier and nodal government agency for road and bridge construction works in the state. In a short period of time, the department has gained well-deserved reputation by effective management and execution of road infrastructure works in the state. The disaster prone nature of our Himalayan state has proved to be a challenge in the infrastructure development since a long time. The development works done by the department have provided connectivity to the majority of the population and settlements and increasingly improve and strengthen the riding surface.

The Citizen's Charter aims to provide for an easier access and delivery of services in a time bound manner to everyone for better efficiency and grievance management improvement.

2. Vision

Public Works Department Uttarakhand aims to provide the best road infrastructure facilities to the state and its people using the available resources. This also aims at providing sustainable road infrastructure to the state which otherwise is disaster prone due to many factors.

This will provide the ease of access to the remotest parts of the state and thus connecting them to the established socio-economic centers as well as help in developing new market places. Thus it will improve the overall economy and life style of such areas.

3. Mission

To provide sustainable road infrastructure system and establish best possible engineering practices in the State in a time bound and citizen centric manner.

4. Our Beneficiaries

In addition to the rest of the country, other pilgrims and tourists from all over the world, the citizens of Uttarakhand state in particular, will be highly benefitted from the infrastructural development in the road sector, opening new gates for socio-economic development.

In short term goals the department assures of its best efforts for fulfilling the requirements and dedicate itself in the service to the public in a time bound manner for